न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

प्रसीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 74/2022
CMS NO. : 2022/137

–ः प्रार्थीगण ः– बनाम –ः अप्रार्थीगण ः–

गोविन्द प्रसाद पुत्र भेरूलाल जाति– ब्राह्मण निवासी– पुरोहितों का बास लाम्बिया, तहसील जैतारण जिला–ब्यावर।

बनाम

1. सोहन पुत्र मोडाराम
2. हनुमान पुत्र मोडाराम
3. रामप्रसाद पुत्र मोडाराम
4. कमलादेवी पत्नी रूपाराम
5. जयप्रकाश पुत्र रूपाराम
6. धर्मेन्द्र पुत्र रूपाराम
7. पिंकीदेवी पुत्री रूपाराम
8. भारतीदेवी पुत्री रूपाराम
9. मायादेवी पुत्री रूपाराम
10. रमेश पुत्र रूपाराम
    जातियान– रेगर निवासीगण– रेगरो का बास लाम्बियां, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर राजस्थान।
11. रमेश पुत्र पुखराज जाति– ढोली निवासी– लाम्बिया, तहसील जैतारण जिला– ब्यावर
12. सुगनचन्द पुत्र भागुराम जाति– मेघवाल, निवासी– लाम्बिया, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर
13. ओमप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति–सरगरा निवासी– लाम्बा जाटान, तहसील– मेड़तासिटी, जिला – नागौर
14. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 13/05/2022

उपस्थितः– 1. श्री धीरवीरसिंह सिसौदिया, श्री राजूनाथ अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. सरकारी पैरोकार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:12:08 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 28/03/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा– लाम्बिया, पटवार हल्का– लाम्बिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर, राजस्थान में प्रार्थी की खातेदारी एवं

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 228 खसरा नम्बर 645/3 रकबा 0.3642
पर स्थित है। जिस पर प्रार्थी अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज खातेदार
काश्तकार है। उपरोक्त खसरान भूमि के नाप चौक एवं सीमाज्ञान करने बाबत् प्रार्थी
ने तहसीलदार जैतारण को कई बार निवेदन किया तथा खसरान भूमि का सीमाज्ञान
करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किए लेकिन अप्रार्थी एवं रेवेन्यु अधिकारियों द्वारा आज
तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की तथा न ही अप्रार्थी संख्या 14 द्वारा
पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी की भूमि का नापचौप कर सीमाज्ञान नहीं किया गया
अप्रार्थी संख्या 01 सोहन पुत्र मोडाराम जो कि खसरा संख्या 647/4 पर काबिज
काश्त है। अप्रार्थी संख्या 01 मौके पर वाद-विवाद करने लगा एवं पत्थरगढ़ी तारबन्दी
को लेकर विवाद करने लगा। जिससे प्रार्थी को आए दिन आस-पास के पड़ौसियों से
खन्दक तारबन्दी पत्थरगढी व सीमाज्ञान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है
तथा पड़ौसी खातेदार इस बात का नाजायज फायदा उठाते हुए आए दिन प्रार्थी को
सीमाज्ञान एवं सीमा विवाद की बात को लेकर तंग व परेशान करते रहते है तथा
प्रार्थी के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा करते है तथा खन्दक आदि
बिखेर देते है जिससे कई बार मौके पर विवाद होता है तथा पुलिस कार्यवाही होती है
बार बार भी विवाद होने की संभावना है जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होती है।
प्रार्थी द्वारा कई बार अप्रार्थी को इस सीमाज्ञान करने एवं सीमा विवाद बाबत् निवेदन
किया तथा पटवार हल्का लाम्बिया को उक्त खसरान भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी
करवाने एवं तारबन्दी करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया लेकिन आज
दिन तक सीमाज्ञान नहीं किया गया तथा इस कारण प्रार्थी को अनेकों प्रकार की
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा पड़ौसी खसरान् खातेदार प्रार्थी की
खन्दक तथा सीमा पाल पत्थरगढी आदि तोड़ देते है तथा बिखेर देते है तथा सीमा
विवाद करते है तथा प्रार्थी को अपने उपयोग-उपभोग खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि
भूमि में मेड़बन्दी तारबन्दी पत्थरगढ़ी नहीं करने देवें तो प्रार्थी को अपनी उपयोग
उपभोग की आराजी में काफी तकलीफ व दिक्कतें आयेगी जिससे प्रार्थी को अपने
जायज हक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा इसलिए यह प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान करवाने
तथा तारबन्दी करवाने पत्थरगढ़ी करवाने माठ कायम करवाने व नेखमबन्दी कराने
बाबत् प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व
दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित राजस्व मौजा लाम्बिया
पटवार हल्का लाम्बिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. में खसरा नम्बर 645/3
कुल रकबा 0.3642 हैक्टेयर कृषि भूमि की प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार है तथा
मौके पर काबिज उपयोग-उपभोग है का मौके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर नेखमबंदी
पत्थरगढ़ी आदि करवाई जावें। इस आशय की पालना राजस्व रेकर्ड में भी की जावें
नक्शे में पालना की जावें तथा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही पत्थरगढ़ी नेखमबन्दी सीमाज्ञान
आदि करवाए जाने के आदेश दिया जावें तथा प्रार्थना-पत्र प्रार्थी का
स्वीकार फरमाया जावें तथा अन्य कोई सहायता जो प्रार्थी पाने का अधिकारी हो तो
न्यायहित में दिलाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:12:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये ...न तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 13 को बार बार आवाज दिलाई बावजूद सम्मन/सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की ।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र समर्थन में वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी एवं भू नक्शा की सत्यापित प्रतिलिपि की गई जो शामिल मिसल की गई।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया ...ा। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं ...र्णयन् निम्नानुसार है-

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ...जस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाम्बिया ...हसील जैतारण में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 645/3 रकबा ...3642 हैक्टेयर स्थित है, जिस पर प्रार्थी अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज ...ातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 01 सोहन पुत्र मोडाराम जो कि खसरा संख्या ...47/4 पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 01 मौके पर वाद-विवाद करने लगा ...वं पत्थरगढ़ी तारबन्दी को लेकर विवाद करनें लगा। जिससे प्रार्थी को आए दिन ...ास-पास के पड़ौसियों से खन्दक तारबन्दी पत्थरगढी व सीमाज्ञान जैसी समस्याओं ...ा सामना करना पड़ सकता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या ...545/3 का सीमाज्ञान करवाया जाकर नाप चौप किया जाकर पत्थरगढी करवायी जाने तथा अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर विवाद करने के कारण आदेश की पालना जरिये पुलिस इमदाद के कार्यवाही करवाई जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है।

2. पत्रावली व संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह जाहिर है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम लाम्बिया, तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 645/3 रकबा 0.3642 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 646, 647/6, 645/1 व 645/4 द्वारा प्रार्थीगण के खसरा संख्या 645/3 के साथ सीमा बनाती है तथा वादग्रस्त आराजी के भू नक्शो की प्रतिलिपियो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की आराजी तथा खसरा नम्बर 645/3 की सीमाएं परस्पर लगती हुई हैं। अतः उभयपक्ष के मध्य खेतों की वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर विवाद होने से इनकार नहीं किया जा सकता तथा प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार होता है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो तथा वह इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं पर सीमा चिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सकें। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र के खण्डन हेतु कोई सारवान दस्तावेजी तथ्य प्रस्तुत नही किए है।

3. चूंकि उपर्युक्त खसरान् की वादग्रस्त आराजी भू नक्शा में तरमीमशुदा है व जमाबंदी में सभी खसरान् का कुल रकबा अंकित है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने-अपने हक हिस्से के काबिज काश्त है तथा खसरा नम्बर 645/3 रकबा 0.3642 हैक्टेयर है अतः खातेदारान् के मध्य ... विशेष की वास्तविक सीमा की

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी जैतारण (ब्यावर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:12:08 IST
Reason: SelfAttested

ास्थिति को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है तथा ऐसे विवादों का समाधान मौके ि सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न अधिरोपित करवाते हुए रवाया जा सकता है, ताकि काश्तकारों के मध्य अनावश्यक विवाद एवं जटिलता पन्न न हो।

अतः हम हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए र्थीगण की आराजी नम्बर 645/3 रकबा 0.3642 हैक्टेयर एवं इससे लगती अन्य ातेदारान् अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 की कृषि भूमि अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 46, 647/6, 645/1 व 645/4 का मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शा के मौके पर ाप चौप करते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण खातेदारान के मध्य सीमाज्ञान करवाया ाकर प्रार्थीगण के खर्चे पर प्रार्थीगण की आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित रवाया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र ार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती ाबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को नेर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व ग्राम लाम्बिया, भू अभिलेख निरीक्षक लाम्बिया तहसील–जैतारण में स्थित प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा खाता संख्या 228 खसरा नम्बर 645/3 रकबा 0.3642 हैक्टेयर तथा अप्रार्थीगण की खसरा संख्या 646, 647/6, 645/1 व 645/4 के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए जमाबंदी एवं भू नक्शे के मुताबिक मौके पर नाप चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक अधिरोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। यदि मौके पर खातेदारान् के मध्य विवाद एवं अशांति की आशंका हो तो संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद लेकर आदेश का मौके पर क्रियान्वयन करवाया जाये। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 28/03/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:12:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)